उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या-क0नि0-2-606/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(95)–2013

दिनांक: 22 मई, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक 23 मई, 2013 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में, क्रम संख्या 1, 28 एवं 36 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:–

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
1	कृषि उपकरण जिसमें छिड़काव एवं ड्रिप सिचाई उपकरण सम्मिलित हैं - मानव चालित अथवा पशु चालित अथवा ट्रैक्टर अथवा विद्युत चालित, कलपुर्जे एवं उपस्कर आदि । (क) कृषि उपकरण - मानव चालित अथवा पशु चालित - हैन्ड-हो या खुरपा, हसिया, फावड़ा, बागुरी, हैन्ड-व्हील हो, बडिंग/ग्राफटिंग चाकू, कर्तनी, प्रूनिंग शियर या हुक, हैज शियर, स्प्रिंकलर, रैकर, स्प्रेयर, डस्टर एवं स्प्रेयर-कम-डस्टर, कुदाली या कुदाल, उद्यान चाकू, उद्यान हैचेट, लूपर (कर्तक), कुल्हाड़ी, फावड़ा, बेलहुक (सिंगल एज या डबल एज), मिट्टी छिद्रक, जैन्ड्रा, व्हील बैरो, ओसाई पंखा या विनोवर, रोपछिद्रक, गड़ासा, पडलर, लेवलर या स्कूप, स्क्रैपर, खाद बीज डालने वाला यंत्र, शेलर, मूंगफली का छिलका उतारने का यंत्र, मैन्योर या सीड स्क्रीन, फ्लेम गन, खाद या बीज जांचने का यंत्र, तसला, तांगली, जुआ, हल, हैरो, कल्टीवेटर या त्रिफाली, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र, बीज-सह-खाद डालने का यंत्र, प्लान्टर, काठफलक या डोगा, मेड़ बनाने का यंत्र, खाई खोदने का यंत्र, बंडफारमर, थ्रेशर या पल्ला, पौधे को एक स्थान से उठाकर लगाने वाला यंत्र (ट्रांसप्लान्टर), कुट्टी काटने का यंत्र, पुर रहट एवं बाल्टी समेत चेन या वाशर चेन, फसल आंकने का हूप, पुर या म्होट, गाड़ी (कार्ट), फसल काटने वाला यंत्र, घास काटने का यंत्र, गन्ना पेरने का यंत्र (क्रशर), गन्ने का रस उबालने का कढ़ाव एवं ग्रेटिंग रोलर और रम्भा, पशु चालित गाड़ी , एवं उसके टायर, ट्यूब सहित; **ट्रैडल पम्प (पैडल पम्प)।** (ख) कृषि उपकरण - ट्रैक्टर चालित एवं विद्युत चालित कृषि उपकरण - हल, हैंगा (हैरो), खेत जोतने वाला यंत्र, बीज बोने का यंत्र, खाद डालने का यंत्र अथवा खाद-सह-बीज डालने का यंत्र,खाद को फैलाने वाला यन्त्र,प्लान्टर,काष्ठ फलक या डोंगा,पाटा या कर्बा, बण्ड फारमर, मेड़

	बनाने का यंत्र (रिजर), पडलर, खाई खोदने का यंत्र, केज व्हील, छिड़कने वाला यंत्र, डस्टर या छिड़काव-सह-डस्टर यंत्र, रोलर, फावड़ा (कुदाल), घूमने वाला फावड़ा अथवा रोटोवेटर, फसल काटने वाला यंत्र या मोवर, आलू खोदने की मशीन या स्पिनर, मूँगफली खोदने का यंत्र, शेकर, थ्रेशर, कुट्टी काटने का यंत्र, बीज का छिलका उतारने का यंत्र (शेलर), मूँगफली का छिलका उतारने का यंत्र, बीज छांटने का यंत्र, बीज ओसाने वाला यंत्र, बीज उपचारित करने का यंत्र, मुर्गी-दाना मिलाने एवं पीसने का यंत्र एवं पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुँचाने वाला यंत्र,
28	धार्मिक संस्थानों द्वारा बेचा जाने वाला प्रसाद, भोग या महाभोग, पंचामृत, मिश्री, बताशा, विभूति; बताशा, इलायचीदाना, गट्टा, कम्पट चरस; बूरा ; **खाण्डसारी शुगर से बनी कुलिया।**
36	बन, रस्क, ब्रेड (पिज्जा ब्रेड को छोड़कर) आटा, मैदा, सूजी, **बेसन जिसमें मटर से निर्मित बेसन सम्मिलित नहीं है;** गुड़, भेली तथा खाने योग्य राब गुड़; खाण्डसारी; दलिया; बीहाईव ; केन्द्रीय विकयकर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित चीनी।

(ख) अनुसूची–दो में, भाग–क में, कम संख्या 7, 52 एवं 137 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:–

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
7	कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन जिसमें प्रशेर कुकर/कढ़ाई भी सम्मिलित है, सिरैमिक वेयर्स तथा ग्लास वेयर्स, कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगटस (गुल्ली) एवं कोरा माल; **चम्मच।**
52	अनाज जिसमें धान, चावल, गेहूँ एवं दालें सम्मिलित हैं; **मटर से निर्मित बेसन।**
137	मिठाई, नमकीन और शुगर प्रोडक्ट्स, **खाण्डसारी शुगर से बनी कुलिया से भिन्न कुलिया;** रेवड़ी और गजक।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।